बिहार विधान परिषद्

190वां सत्र

तारांकित प्रश्न
वर्ग – 3

07 अग्रहायण, 1940 (श.)

बुधवार, तिथि ----------

28 नवम्बर, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 20

1.	नगर विकास एवं आवास विभाग	....	....	13
2.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	....	....	01
3.	आपदा प्रबंधन विभाग	....	....	01
4.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	....	....	04
5.	पर्यटन विभाग	....	....	01

			कुल योग –	**20**

गाइडलाइन के लिए कदम कबतक

***** 23. **प्रो. नवल किशोर यादव** एवं **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजधानी पटना 'स्वच्छ भारत मिशन' में सबसे निचले पायदान पर है;

(ख) क्या यह सही है कि कचरे के निस्तारण के नाम पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य के तमाम निकायों ने करोड़ों रुपये के डस्टबिन खरीद डाले किन्तु पटना सहित कई स्थानों पर कचरे संग कंपोस्ट बनाने का कोई इंतजाम निकायों ने नहीं किया है, जिससे डोर-टू-डोर उठाये गये कूड़े के ढेर, तमाम सड़कें, पार्कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लग रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम ने कूड़े से बिजली बनाने के लिए एक कंपनी से करार किया था, लेकिन अभी तक उस काम का अता-पता नहीं है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बतायेगी कि उक्त वर्णित हालात में स्वच्छ भारत मिशन के तहत दी गयी गाइडलाइन को सफल बनाने के लिए कौन-सा सार्थक कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

अपशिष्ट प्रबंधन कबतक

***** 24. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि गया की ऐतिहासिक नदी फल्गु में देश-विदेश से आये लाखों लोग प्रतिवर्ष अपने पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए तर्पण करते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि अंत:सलिला फल्गु नदी में प्रतिदिन हजारों टन कचरा, सड़ी-गली वस्तुयें, भवन के अवशेष, पशुओं का मृत शरीर तथा गया नगर निगम क्षेत्र के सिवरेज/मलजल का निस्तारण होता है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा निगम क्षेत्र के जनहित में ठोस अपशिष्ट एवं सिवरेज के समुचित प्रबंधन हेतु निर्देश दिया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि फल्गु नदी के शहर के बीच से जाने के कारण उसे दोनों किनारों से अतिक्रमित किया जा रहा है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अगले पितृपक्ष मेले के पूर्व, ठोस कचरा प्रबंधन, सिवरेज तथा मलजल के स्थायी प्रबंधन जैसे-ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सरकार द्वारा आवंटित, नैली के पास 35 एकड़ भूमि में तथा सभी नाले को ई.टी.पी. से परिष्कृत कर पानी को नदी में प्रवाहित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

***** 25. **श्री सुबोध कुमार** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत राज्य खाद्य निगम के गोदाम प्रबंधक एवं डोर स्टेप के परिवहन अभिकर्ता की मिलीभगत से बी.पी.एल., अंत्योदय एवं अन्य योजनाओं के लाभुकों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सामग्री की कालाबाजारी की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि व्यापक पैमाने पर (करीब 12 करोड़ रुपये के) गरीबों के खाद्यान में गड़बड़ी किये जाने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से इन लोगों के हौसले बुलंद हैं तथा प्रबंधन तथा परिवहन का कार्य निर्विघ्न रूप से कर रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि गोदाम प्रबंधक एवं डोर स्टेप के परिवहन अभिकर्ताओं की उक्त कारगुजारियों की सूचना दैनिक समाचार पत्रों में छपने के बावजूद भी कालाबाजारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैशाली जिले के खाद्य निगम के गोदामों से गरीबों के राशन को कालाबाजार में पहुंचाने के दोषी गोदाम प्रबंधक एवं डोर स्टेप के परिवहन अभिकर्ता को चिह्नित करते हुए उन पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पीड़ित परिवारों को मुआवजा

***** 26. **श्री रामईश्वर महतो** : क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अन्तर्गत महादेवपट्टी गांव में 25 अक्टूबर, 2017 को महादलित परिवार के घर में गैस लीक हादसे के बाद 11 लोग जख्मी हो गए थे, जिनमें चार की मौत इलाज के दौरान हॉस्पीटल में हो गई है;

(ख) क्या यह सही है कि गैस लीक से मरने वाले दलित परिवार वालों के आश्रितों को प्रशासन द्वारा मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया गया था;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उन महादलित परिवारों का, जिनकी मौत गैस लीक हादसे में हो गई थी, स्थानीय प्रशासन द्वारा आश्वासन मिलने के एक साल बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया है, उन सभी पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का इरादा रखती है, यदि हां तो कबतक ?

जानलेवा व्यवस्था की समाप्ति

***** 27. **डा. संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि विधान मंडल के मुख्य द्वार की ठीक दाहिनी तरफ क्रांति मार्ग (हार्डिंग रोड) स्थित आवास संख्या-5 में 5-6 महीने से गीले कचरे के साथ-साथ सभी प्रकार के कूड़े-करकट से भरा ट्रक/डंपर लगाया जाता है जिसके कारण नजदीक के आवासों में रहने वालों एवं राहगीरों को भयावह दुर्गंध का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजधानी स्थित लोकतंत्र के मंदिर 'विधान मंडल' के मुख्य द्वार अथवा ऐसे महत्वपूर्ण रिहायशी इलाके से इस जानलेवा व्यवस्था को कबतक समाप्त करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

फॉगिंग की व्यवस्था

***** 28. **डा. रामवचन राय** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना के बांकीपुर और कंकड़बाग अंचल में दो बड़ी फॉगिंग मशीन एवं पटना सिटी अंचल में तीन फॉगिंग मशीन मात्र चालू है, वहीं इन अंचलों में करीब 35 छोटी फॉगिंग मशीनें महीनों से खराब पड़ी हुई हैं;

(ख) क्या यह सही है कि फॉगिंग मशीन के खराब रहने से शहर में नियमित रूप से फॉगिंग नहीं हो पा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि बारिश के दौरान अंचलों के सैकड़ों मोहल्लों के जलजमाव वाले क्षेत्रों में डेंगू मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है;

(घ) क्या यह सही है कि इस समय पटना भयंकर रूप से डेंगू से प्रभावित है;

(ड) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जनहित में खराब पड़ी फॉगिंग मशीन को ठीक कराकर नियमित रूप से शहर में फॉगिंग की व्यवस्था करायेगी, ताकि डेंगू मच्छरों के प्रकोप को रोका जा सके ?

सड़क का निर्माण

***** 29. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया शहर के रामपुर थानान्तर्गत वार्ड नं.-30 में भट बिगहा मोहल्ला में सिर्फ कच्ची गली है, एवं सड़क का निर्माण नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि गया शहर में रहते हुए भी सड़क नहीं होने के कारण लोगों को काफी दिक्कत होती है जहां कच्ची सड़क रहने के कारण हमेशा गंदगी रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सड़क का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन

***** 30. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की धारा 04(04) को सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं.-1091/13 द्वारा पटना उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 में अपीलीय प्राधिकार प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा अपील के निष्पादन की कोई समय सीमा तय नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि स्वीकृत इंदिरा आवास की जमीन पर निराधार गैर कानूनी विवाद उत्पन्न कर अनिल पासवान, ग्राम-सफापुर, प्रखंड-मटिहानी, जिला-बेगूसराय के मामले को प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में लगभग तीन वर्षों से लंबित रख कर उसे खुले आसमान में जिन्दगी और मौत से लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रमंडलीय आयुक्त को लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के मामले में कबतक निदेश देना चाहेगी ?

भूमिहीनों को भूमि कबतक

***** 31. **श्री सुमन कुमार** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि जिला भूदान यज्ञ कार्यालय, मधुबनी ने अपने पत्रांक-322, दिनांक-28.12.06 के द्वारा मधुबनी जिला अंतर्गत मधेपुर अंचल ग्राम-परवलपुर निवासी श्री पवन कुमार राम को सूचना के अधिकार के तहत एक सौ चार भूमिहीनों के बीच लगभग 156 बीघा भूमि के बंटवारे की सूचना उपलब्ध कराई थी;

(ख) क्या यह सही है कि जिला पदाधिकारी, मधुबनी ने अपने पत्रांक-143, दिनांक-9.7.07 के द्वारा सभी राजस्व कर्मचारी, मुखिया एवं प्रमुख को निर्धारित तिथि तक भूदान की भूमि की आम सूचना (प्रचार) कर दाखिल-खारिज कराने का आदेश निर्गत किया था;

(ग) क्या यह सही है कि जिला पदाधिकारी, मधुबनी के उक्त आदेश का अनुपालन आज तक नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अंतर्गत भूमिहीनों को भूमि दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बसों का परिचालन

* 32. **श्री रामचन्द्र पूर्वे** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्ष 2012 में 45 लाख रुपये की लागत से तीन डबल डेकर बस तथा 2014 में जापानी कम्पनी इसूजू की चार बस खरीदी गयी थी, लेकिन इन बसों का परिचालन क्रय के बाद से ही बंद है, फलत: निगम को प्रतिमाह 25 लाख रुपये का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बस क्रय करने वाले पदाधिकारियों एवं परिचलान के बंद होने के लिए जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पर्यटन हेतु बसों के परिचालन का विचार रखती है ?

पानी की निकासी

* 33. **श्री सी. पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अन्तर्गत नौबतपुर थाना से बाजार तक एन.एच.-98 के किनारे स्थित नाले का पानी सड़क पर जमा रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जलजमाव के कारण आवागमन बाधित रहता है एवं सड़क गड्ढे में तब्दील हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नाले के पानी की निकासी का समुचित उपाय शीघ्र करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नाला का निर्माण

* 34. **श्रीमती रीना देवी** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत हिलसा नगर पंचायत के वार्ड नं.-4 स्थित मई टोला आवा में दलित टोला एवं पिछड़ा वर्ग के करीब 150 घरों का पानी एवं शौचालय का पानी नाला के अभाव में ग्राम मई से ग्राम पूर्णा तक जाने वाली मुख्य सड़क पर गिरता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर पानी का जमाव अधिक होने से गड्ढे काफी बड़े हो गये हैं जिससे दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है तथा संक्रामक बीमारियों से ग्रामीण जनता को जूझना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' में वर्णित नाला का निर्माण कबतक करना चाहती है ?

राजस्व वसूली बंद कबतक

***** 35. **श्री वीरेन्द्र नारायण यादव** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि बिहार के 23 जिले के 206 प्रखंड में सुखाड़ घोषित करने के बाद वहां राजस्व लगान एवं सेस की वसूली स्थगित कर दी गयी है, किन्तु उन सूखा प्रभावित प्रखंड-वासियों को इनकी जानकारी नहीं दी जा सकी है, जिससे कृषक चिन्तित एवं मायूस हैं;

(ख) क्या यह सही है कि पटना, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, सीवान, गोपालगंज, जमुई आदि 23 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन उन जिलों के अधिकतर प्रखंडों में लगान वसूली का कार्य जारी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सूखाग्रस्त प्रभावित जिलों के प्रखंडों के किसानों से तत्काल प्रभाव से राजस्व लगान वसूली को बंद करने एवं खंड 'क' की स्थिति को आम जनता के बीच प्रचार-प्रसार के माध्यम से अवगत कराने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

रोड पर स्ट्रीट लाइट

***** 36. **डा. सूरज नन्दन प्रसाद** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना नगर निगम के वार्ड सं.-46 बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के सेक्टर नं.-8, रोड नं.-9, तेज नारायण कॉम्पलेक्स से पश्चिम कुल आठ पोल जिन पर स्ट्रीट लाइट लगाना अतिआवश्यक है, परन्तु तेज नारायण कॉम्पलेक्स के बने पोल में स्ट्रीट लाइट लगाकर बाकी पोल को छोड़ दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थलों पर स्ट्रीट लाइट नहीं रहने से फ्लैट सं.-8 ई/133 एवं पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क जो कुमार आर्थो अस्पताल पर जाती है, पर काफी अंधेरा रहता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त रोड के पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कर्मचारियों की नियुक्ति

***** 37. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग के सभी जिलों में कर्मचारियों की भारी कमी है, जिससे अधिकांश जनसरोकार से संबंधित कार्य बाधित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि विभाग में अमीनों एवं भू-अभिलेख कर्मियों की कमी से पटना, नालंदा, नवादा, गया सहित अन्य जिलों में जमीन-विवाद से संबंधित शिकायतों का निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे जमीन विवाद में लोगों की हत्याएं होने की खबरें मिल रही हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' एवं 'ख' की स्थिति में कर्मचारियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

***** 38. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया शहर के अनुग्रह नारायण मेमोरियल कॉलेज की दीवार से श्री रामरूप रजक के घर होते हुए श्री सूरज ठाकुर के घर तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, इस कारण लोगों को परेशानी होती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पी.सी.सी. सड़क का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

नाला का निर्माण

***** 39. **डा. संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पूर्णिया जिला स्थित गुलाबबाग मंडी में जल निकासी की व्यवस्था हेतु नाला का निर्माण नहीं होने के कारण वहां की स्थिति नारकीय है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में ऐसे महत्वपूर्ण स्थल पर प्राथमिकता के आधार पर नाला निर्माण करवाकर जल निकासी की व्यवस्था कबतक कराना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

कचरा प्रबंधन की व्यवस्था

***** 40. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि कंकड़बाग के हनुमान नगर में पानी टंकी के सामने चौराहे पर मुहल्ले के निवासी कचरा फेंकते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि बारह से एक बजे दिन तक वह कचरा यूं ही पड़ा रहता है जिससे प्रदूषण फैलता है और गाड़ियों का आवागमन बाधित रहता है;

(ग) क्या यह सही है कि नगर निगम की गाड़ी बारह-एक बजे दिन में आती है कभी-कभी नहीं भी आती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस कचरा के प्रबंधन की कोई समुचित व्यवस्था करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

सड़क एवं नाला का निर्माण

***** 41. **श्री सी. पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम के वार्ड नं.-22 में स्थित नेहरू नगर के सतीश केसरी भवन से विशाल बजरंग बली मंदिर तक कच्ची सड़क है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम के वार्ड नं.-22 में स्थित नेहरू नगर के सतीश केसरी भवन से विशाल बजरंग बली मंदिर तक आजतक नाला का निर्माण नहीं हुआ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अतिशीघ्र कच्ची सड़क एवं नाला का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

चैम्बर पर ढक्कन नहीं

***** 42. **डा. सूरज नन्दन प्रसाद** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना नगर निगम के वार्ड सं.-46, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के सेक्टर नं.-8 का रोड नं.-9 तेज नारायण कॉम्पलेक्स के ठीक पश्चिम से शुरू होकर कुमार आर्थो हॉस्पीटल के पास समाप्त होती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पथ पर 8 ई/133 के सामने एवं सुमित्रा भवन के सामने के मैनहोल का ढक्कन नहीं रहने के कारण छोटे बच्चे एवं राहगीर मैनहोल में गिर कर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त रोड पर खुले मैनहोल के चैम्बर का ढक्कन लगवाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पटना
दिनांक 28 नवम्बर, 2018 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्